राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

संदर्भ में:

इस ब्रह्मांड के ग्रह पृथ्वी और भविष्य की पीढ़ी को बचाओ

माननीय श्री जस्टिस अनूप कुमार ढांड

आदेश

30/05/2024

रिपोर्टेबल

न्यायालय द्वारा:

1. पृथ्वी इस ब्रह्मांड में जीवन रखने वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह है। पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जो जीवन को बनाए रख सकती है। हमारे पास ऐसा कोई ग्रह- बी नहीं है जिस पर हम चले जाएं। पृथ्वी करोड़ों प्रजातियों का घर है, जिसमें जीवित और निर्जीव दोनों शामिल हैं।

2. हमारा ग्रह निश्चित रूप से भगवान का अनमोल उपहार है। यह सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी हमें हमारी हर ज़रूरत की चीज़ देती है, जिसमें हमारा भोजन, कपड़े, और हमारे रहने के घर शामिल हैं। पृथ्वी को 'मां धरती' कहा जाता है, क्योंकि हमारी मां की तरह ही वह हमेशा हमारी देखभाल करती है और हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करती है।

"(30/05/2025 को दोपहर 12:41:27 बजे डाउनलोड किया गया)"

3. पृथ्वी पर इंसान, जानवर, पौधे, जल स्रोत, भूमि, पर्वत, मिट्टी आदि हैं। हमारा ग्रह ही एकमात्र जगह है जहाँ जीवित चीज़ें रह सकती हैं। इसी कारण, हमारे ग्रह को बचाना अत्यंत महत्वपूर्ण और ज़रूरी हो जाता है।

4. धरती माता स्पष्ट रूप से हमें कार्यवाही के लिए पुकार रही है। प्रकृति पीड़ित है। आजकल अत्यधिक गर्मी के कारण तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है, जिससे राजस्थान राज्य और पूरे देश में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रकृति में मानवजनित बदलाव तथा ऐसे अपराध, जो जैव विविधता को नुकसान पहुँचाते हैं—जैसे वनों की कटाई, पेड़ों को काटना, भूमि उपयोग परिवर्तन, प्राकृतिक जल स्रोतों को नष्ट करना आदि—ग्रह के विनाश की गति को तेज कर सकते हैं। पेड़ों की तेज कटाई ने आपदा स्वरूप जलवायु परिवर्तन को जन्म दिया है।

5. हमें अपनी धरती माता से जो कुछ भी मिलता है, उसका सम्मान करना चाहिए और उसे सुरक्षित रखना चाहिए। हमें धरती माता को बचाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित वातावरण में रह सकें। इससे पृथ्वी और हमारे जीवन को बचाने की गंभीरता और अधिक बढ़ जाती है। अगर हम अभी सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को फलते-फूलते देखने का अवसर खो देंगे। हर किसी को एक साथ आना चाहिए क्योंकि हम सबसे पहले इस ग्रह के निवासी हैं, और बाकी सब बाद में।

6. जैसे-जैसे मानव गतिविधियाँ अन्य जीव-जंतुओं के जीवन को प्रभावित कर रही हैं, मनुष्यों को पृथ्वी और इसके संसाधनों की रक्षा के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

"(30/05/2025 को दोपहर 12:41:27 बजे डाउनलोड किया गया)"

हर व्यक्ति का छोटा सा प्रयास भी सभी के लिए बड़ी बात साबित हो सकता है। प्रत्येक कार्य से फर्क पड़ेगा। हम तभी सफल होंगे जब हर कोई अपनी भूमिका निभाएगा। प्रकृति और पृथ्वी के साथ तालमेल के लिए कदम उठाएँ। हर व्यक्ति अभी से एक आंदोलन शुरू करे ताकि हम फिर से अपने पुराने समृद्ध संसार को पुनः प्राप्त कर सकें।

7. हमें अपनी धरती माता से जो कुछ भी मिलता है, उसका सम्मान करना चाहिए और उसे सुरक्षित रखना चाहिए। हमें धरती माता को बचाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित वातावरण में रह सकें। हम पेड़ों, प्राकृतिक वनस्पति, जल स्रोतों को बचाकर पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं। हम सभी संसाधनों को बचाकर रखें। हमें पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए सभी संभव उपायों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। सभी को अपने आस-पास के क्षेत्रों में अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और वैश्विक तापमान में वृद्धि के प्रयासों को घटाया जा सके।

8. पृथ्वी और इसकी पारिस्थितिकी की रक्षा के लिए किया गया हमारा प्रत्येक छोटा योगदान निश्चित रूप से फर्क लाएगा। हर व्यक्ति का थोड़ा सा प्रयास भी सभी के लिए बहुत दूर तक जाएगा। प्रत्येक कार्य से फर्क पड़ेगा।

9. सरकार और आम जनता दोनों को मिलकर पृथ्वी को बचाने के लिए आना चाहिए। लोगों को पृथ्वी को न बचाने के परिणामों के बारे में जागरूक करना चाहिए। उन्हें यह सिखाया जा सकता है कि वे पृथ्वी को बचाने में किस तरह योगदान दे सकते

"(30/05/2025 को दोपहर 12:41:27 बजे डाउनलोड किया गया)"

हैं। यदि यह सामूहिक प्रयास शुरू हो जाता है तो हम निश्चित रूप से अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे और उज्जवल बना सकते हैं।

10. पृथ्वी को बचाना और भविष्य को सुरक्षित रखना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जो नैतिक, यथार्थवादी और दीर्घकालिक जीवित रहने की चिंताओं से उत्पन्न होती है।

11. पर्यावरण में कहीं भी शुद्धता नहीं रही, चाहे वह वायु हो या जल। लगभग सभी खाद्य पदार्थ मिलावटी पाए जाते हैं। दैनिक जीवन में खाने-पीने की वस्तुओं में रसायनों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। लगभग सभी डेयरी उत्पाद, दूध, घी, अनाज, फल, सब्जियाँ आदि रसायनों के साथ बनाए जाते हैं, जो सार्वजनिक जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियाँ पैदा कर रहे हैं। कुछ लोग इन सभी गैरकानूनी, अनुचित कार्यों को केवल आसान धन अर्जित करने के लिए करते हैं, जिससे सभी जीवों के जीवन की कीमत पर पैसा कमाया जाता है।

12. चरम मौसम की स्थिति, जैसे लू के रूप में, इस महीने सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हर किसी देश को हर साल मौसम की चरम स्थिति का सामना करना पड़ता है जैसे लू, बारिश और शीतलहर, जिसमें कई लोगों, विशेष रूप से गरीबों, की जान चली जाती है। विभिन्न अखबारों में प्रकाशित समाचार तथा इलेक्ट्रिक मीडिया पर प्रसारित न्यूज़ बोर्ड से यह पता चलता है कि इस वर्ष की लू में मरने वालों की संख्या हजारों तक पहुँच गई है। दुनिया में सबसे घातक लू वह थी, जिसने 2003 में यूरोप को पंगु बना दिया और 71,310 लोगों की जान ले ली। दस सबसे घातक आपदाओं की सूची में भारतीय लू चार-पाँच बार आती है: 1998, 2002, 2003, 2015 और इस वर्ष-2004।

"(30/05/2025 को दोपहर 12:41:27 बजे डाउनलोड किया गया)"

आश्चर्यजनक रूप से, मौतों के लिहाज से सबसे घातक लू में से छह 21वीं सदी में हुई हैं, जिसमें अब तक दर्ज वैश्विक तापमान के आठ सबसे गर्म वर्षों में से आठ इसी सदी में रिकॉर्ड किए गए हैं। दुर्भाग्य से गरीब लोग, जो ठीक से पेट भर खाना नहीं खा पाते और जिन्हें दो वक्त की रोटी के लिए झुलसती गर्मी और सर्दी में काम करना मजबूरी है, वे इन मौसम की चरम परिस्थितियों के सबसे अधिक शिकार बनते हैं और अपनी जान गँवा बैठते हैं। लू से मरने वालों की संख्या का अनुमान लगाना बहुत कठिन है क्योंकि अत्यधिक गर्मी को आमतौर पर मौत का प्राथमिक कारण नहीं माना जाता, खासकर उन मामलों में जिसमें पीड़ित को पहले से कोई बीमारी जैसे दिल या फेफड़ों की समस्या हो।

13. देश भर में अत्यधिक गर्मी और शीतलहर के कारण बड़ी संख्या में मौतों को देखते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (संक्षिप्त में "एनडीएमए") ने इस पर काम करना शुरू किया। लू और शीतलहर को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की आवश्यकता है। इस विषय पर एक विस्तृत अध्ययन किया गया ताकि बचाव के तरीकों, पेयजल और शीतलन स्थान की उपलब्धता जैसी बातों का पता लगाया जा सके, जिससे लू और शीतलहर के कारण होने वाली मौतों को रोका जा सके। इसके अलावा, रैन बसेरा, ऊनी कपड़े, दवाइयाँ और गरीबों के लिए भोजन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि सबसे गरीब लोग इन लू और कठोर सर्दियों के दौरान अपनी जान बचा सकें। यह वह न्यूनतम आवश्यकता है, जो किसी भी कल्याणकारी राज्य में सबसे गरीब लोगों के लिए की जानी चाहिए।

"(30/05/2025 को दोपहर 12:41:27 बजे डाउनलोड किया गया)"

14. उपरोक्त स्थिति से बचने और उसका समाधान खोजने हेतु, एक विधेयक अर्थात "गर्मी और शीतलहर से होने वाली मौतों की रोकथाम विधेयक, 2015" (संक्षिप्त रूप में "2015 का विधेयक) को 18 दिसंबर, 2015 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, ताकि गर्मियों में लू और सर्दियों में कड़ी ठंड के दौरान मानव मृत्यु की रोकथाम की जा सके, लू और शीतलहर को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा सके, और इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पूर्व तैयारी के उपाय किए जा सकें, जैसे कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर तुरंत ऊनी वस्त्र उपलब्ध कराना, रैन बसेरा बनाना, सामुदायिक अलाव की व्यवस्था करना, पेयजल, ओआरएस पैकेट, आम पना, शीतलन स्थान और छायादार स्थल प्रमुख जगहों पर उपलब्ध कराना, गरीब बेघर मजदूरों और दैनिक वेतन भोगियों की अन्य आवश्यकताओं के लिए मुफ्त राशन उपलब्ध कराना, तथा गर्मी या शीतलहर से मरने वाले लोगों के परिवारजनों को मुआवजा देना, जैसा मामला हो, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तथा इससे जुड़ी अन्य बातों के लिए।

15. वर्ष 2015 के उपरोक्त विधेयक में कई प्रावधान शामिल किए गए, जैसे कि मौसम विज्ञान केंद्र की भविष्यवाणी प्राप्त होने पर उचित सरकार अपनी विभिन्न मंत्रालयों या विभागों को, जो कृषि, पेयजल, सामाजिक न्याय, खाद्य आदि से संबंधित हैं, आवश्यकतानुसार सतर्क कर देगी ताकि वे प्राकृतिक आपदा और विपदा का सामना करने के लिए अपनी कार्य योजना के साथ तैयार रह सकें, जो ऐसी प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न हो सकती है। कई लाभकारी प्रावधान प्रभावित व्यक्तियों के लाभ के लिए किए गए थे, लेकिन केंद्रीय सरकार को स्पष्ट रूप से ज्ञात कारणों से, 8-9 वर्षों से अधिक

"(30/05/2025 को दोपहर 12:41:27 बजे डाउनलोड किया गया)"

समय गुजर जाने के बावजूद, अब तक वह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित नहीं हो पाया है ताकि उसे एक वैधानिक अधिनियम का रूप दिया जा सके, जिसकी क्रियान्वयन द्वारा प्रवर्तन किया जा सके। उक्त 2015 का विधेयक अब भी ठंडे बस्ते में पड़ा है और लगभग एक दशक गुजर जाने के बावजूद अब तक अस्तित्व में नहीं आ पाया है। 2015 के विधेयक की डाउनलोड की गई प्रति संलग्न की जा रही है और इसे अनुसूची सी/1 के रूप में चिह्नित किया गया है।

16. एक हीट एक्शन प्लान (संक्षिप्त रूप में "एच एपी") राजस्थान राज्य में आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग (संक्षेप में "डीएमआरडी") तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (संक्षेप में "आर एस पी सी बी") के सलाह और नेतृत्व में विकसित किया गया। इस 'एच एपी' को मौसम, जलवायु, स्वास्थ्य और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन और सहयोग से तैयार किया गया। यह एच एपी भारत का पहला ग्रामीण जलवायु लचीलापन हीट एक्शन प्लान माना गया था, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था। विभिन्न विभागों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ तय की गईं। पीले, नारंगी और लाल चेतावनी की श्रेणियाँ जैसे, हॉट डे एडवाइजरी (41-43 डिग्री सेल्सियस), हीट अलर्ट डे (43-44.9 डिग्री सेल्सियस) और एक्सट्रीम हीट अलर्ट डे (45 डिग्री सेल्सियस और उससे अधिक) निर्धारित की गईं ताकि मौसम की हर स्थिति से निपटा जा सके। विभिन्न विभागों के विभिन्न स्तरों पर नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ तय की गईं, जिनमें मीडिया, प्रेस और संचार अधिकारियों के कर्तव्य भी शामिल हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से और वास्तविकता में, राजस्थान क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट द्वारा लाया गया हीट एक्शन

"(30/05/2025 को दोपहर 12:41:27 बजे डाउनलोड किया गया)"

प्लान अपने सही मायने में और सही भावना में प्रभाव नहीं दिखा पाया है। राजस्थान हीट एक्शन प्लान की डाउनलोड की गई प्रति यहाँ संलग्न है।

17. इसके बाद, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (संक्षिप्त में "एम ओ एच एफ डब्ल्यू") ने 18.04.2013 को "भारत में हीट रिलेटेड बीमारी (एच आर आई) हेतु स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारियों को मजबूत करना" नामक एक योजना शुरू की। यह योजना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी एच सी) और जिला अस्पतालों (डी एच) के लिए थी। इसमें पूर्व-गर्मी काल, गर्मी के मौसम और पश्चात गर्मी काल के लिए योजनाएँ बनाना शामिल है। इसी प्रकार, गंभीर हीट संबंधी बीमारी के आपात प्रबंधन और शीतलीकरण तथा गंभीर हीट संबंधी बीमारियों के आपात प्रबंधन के लिए हीटस्ट्रोक कक्ष के निर्माण के प्रावधान हैं। लेकिन व्यवहार में, सरकार इस योजना और हीटस्ट्रोक मरीजों के लिए बनाए गए प्रावधानों को लागू करने में बुरी तरह असफल रही है। "भारत में हीट रिलेटेड बीमारी (एच आर आई) हेतु स्वास्थ्य प्रणालियों की तैयारियों को मजबूत करना" योजना की डाउनलोड की गई प्रति संलग्न की जा रही है और उसे अनुबंध सी/3 के रूप में चिह्नित किया गया है।

18. पिछले वर्ष दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली हीट वेव एक्शन प्लान–2023 तैयार किया ताकि लू के कारण उत्पन्न होने वाली हर स्थिति का सामना किया जा सके। विभिन्न रणनीतियाँ, अधिकारियों एवं विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ पूर्व हीटवेव, पश्चात हीटवेव और हीटवेव सीज़न के दौरान निर्धारित और तय की गईं, ताकि सार्वजनिक हित में सभी प्रकार की अप्रत्याशित

"(30/05/2025 को दोपहर 12:41:27 बजे डाउनलोड किया गया)"

परिस्थितियों का सामना किया जा सके। दिल्ली हीट वेव एक्शन प्लान–2023 की डाउनलोड की गई प्रति संलग्न की गई है और उसे अनुबंध सी/4 के रूप में चिह्नित किया गया है। राजस्थान राज्य और केंद्र सरकार को भी ऐसे हीट वेव एक्शन प्लान तैयार करने चाहिए और इस संबंध में सभी संभव, ईमानदार और गंभीर कदम उठाने चाहिए।

19. हाल ही में, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली ने राज्य स्वास्थ्य विभाग के लिए हीट वेव सीजन–2024 पर परामर्श जारी किया है, जिसके माध्यम से 'मानक संचालन प्रक्रिया' ("एस ओ पी") तैयार की गई है और जारी की गई है ताकि अत्यधिक गर्मी के स्वास्थ्य प्रभावों को कम किया जा सके और स्वास्थ्य विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे हर चरम गर्मी की परिस्थिति से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए तैयारी और समयबद्ध प्रतिक्रिया सुनिश्चित करें। राज्य स्वास्थ्य विभाग के लिए हीट वेव सीजन–2024 पर जारी सलाह की एक डाउनलोड की गई प्रति संलग्न की गई है और संलग्नक सी/5 के रूप में अंकित की गई है।

20. इस न्यायालय ने देखा है कि ऐसे कार्य योजना के प्रारूप तैयार करने के बावजूद, कल्याणकारी राज्य द्वारा जनसाधारण के हित में प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते ताकि उन्हें ऐसी गंभीर हीटवेव की स्थिति से बचाया जा सके, जिसका वे आजकल सामना कर रहे हैं।

"(30/05/2025 को दोपहर 12:41:27 बजे डाउनलोड किया गया)"

21. जलवायु परिवर्तन उन अधिक गंभीर खतरों में से एक है, जिसका हमारी धरती इन दिनों सामना कर रही है। तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे हीटवेव्स उत्पन्न हो रही हैं, जिन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है और अनेक अवांछित व असमय मृत्यु दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं।

22. स्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए, राज्य के नागरिकों को जलवायु परिवर्तन की गंभीर स्थिति से बचाने के लिए शीघ्र समाधान निकालने हेतु निर्देश दिया जाता है। इसे एक याचिका के रूप में मानते हुए दर्ज किया जाए:

सूओ मोटो : इन री : "इस ब्रह्माण्ड की भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी ग्रह और भविष्य को बचाओ"

बनाम

1. भारत सरकार, गृह मंत्रालय के माध्यम से, नई दिल्ली।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, स्वास्थ्य विज्ञान निदेशालय, 22, श्याम नाथ मार्ग, सिविल लाइन्स, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. श्रम एवं उद्योग विभाग, नई दिल्ली।
7. समाज कल्याण विभाग, नई दिल्ली।

"(30/05/2025 को दोपहर 12:41:27 बजे डाउनलोड किया गया)"

8. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली।

9. राजस्थान राज्य, मुख्य सचिव, राज्य सरकार सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

10. सचिव, मौसम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

11. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, सरकार सचिवालय, जयपुर।

12. आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

13. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण एवं स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।

14. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, जयपुर।

15. अतिरिक्त मुख्य सचिव, बागवानी एवं जनकार्य विभाग, जयपुर।

16. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वायु प्रदूषण नियंत्रण विभाग, जयपुर।

17. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर।

23. राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के अवर सचिव को यह निर्देशित किया जाता है कि वे विभिन्न विभागों की समितियों का गठन करें, जिसकी अध्यक्षता संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव करेंगे, ताकि वे इस विषय को देखें और राजस्थान जलवायु परिवर्तन परियोजना के तहत तैयार किए गए हीट एक्शन प्लान तथा स्वास्थ्य प्रणाली की ताप से संबंधित बीमारियों की तैयारियों को मजबूत करने के लिए तैयार की गई विभिन्न योजनाओं एवं पेड़ लगाने, जल संरक्षण, वन, वनस्पति और बिजली आदि के लिए तत्काल एवं उचित कदम उठाएँ।

"(30/05/2025 को दोपहर 12:41:27 बजे डाउनलोड किया गया)"

24. यह देखते हुए कि भारी संख्या में लोग अत्यधिक गर्मी की लहरों और लू के कारण गर्मियों में तथा सर्दियों में अत्यधिक ठंड के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं, अब समय आ गया है कि सरकारें उपयुक्त कानून बनाएँ और 'उष्णता एवं शीत लहरों के कारण होने वाली मृत्यु की रोकथाम विधेयक, 2015' के तहत एक विधिक अधिनियम लागू करें। न्यायालय रजिस्ट्री को यह निर्देश देता है कि इस आदेश की प्रति भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली और राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक मामलों के विभाग के प्रधान सचिव, जयपुर को अग्रेषित की जाए ताकि वे इस मुद्दे पर आवश्यक कार्यवाही कर सकें।

25. पिछले वर्ष से पहले, राज्य के नागरिकों ने देखा कि वर्षा ऋतु और मानसून के दौरान भारी वर्षा हुई थी और सरकारी अधिकारियों के पास वर्षा जल के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान, बांध आदि नहीं थे। राज्य के अधिकारियों की ऐसी निष्क्रियता के कारण, अरबों गैलन पानी बर्बाद हो गया।

26. यह आशा की जाती है कि सरकारी अधिकारी भविष्य में वर्षा जल को बचाने के लिए बांधों के पास जलाशयों आदि के निर्माण के लिए तत्काल कदम उठाएँगे और पूरे राज्य में अधिकतम पौधारोपण के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे।

27. वर्तमान आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एक अंतरिम उपाय के रूप में, यह न्यायालय उत्तरदाताओं को निम्नलिखित निर्देश जारी करता है:

"(30/05/2025 को दोपहर 12:41:27 बजे डाउनलोड किया गया)"

(i) "हीट एक्शन प्लान" को, जो राजस्थान क्लाइमेट चेंज परियोजना के तहत तैयार किया गया है, तत्काल प्रभाव से उसके वास्तविक अक्षर और भावना में लागू किया जाए और 'स्वास्थ्य प्रणालियों की ताप संबंधी बीमारियों के लिए तैयारी को मजबूत करना' योजना तथा राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा हीटवेव सीजन–2024 के लिए जारी एडवायजरी की प्रभावी क्रियान्विति की जाए, ताकि सार्वजनिक हित में तत्काल प्रभाव से कार्य हो सके।

(ii) उन सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाए, जहाँ बड़ी संख्या में आम जनता की आवाजाही होती है।

(iii) ट्रैफिक सिग्नल, स्थान आदि, सड़कों एवं राजमार्गों के पास, जहाँ सरकार आवश्यक समझे, आम जनता, दैनिक मजदूरी करने वालों, रिक्शा या ट्रॉली चलाने वालों, कुलियों, पक्षियों एवं जानवरों के लिए पेयजल, ओआरएस पैकेट्स, आम का पन्ना आदि की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि उन्हें हीट स्ट्रोक से बचाव का लाभ मिल सके।

(iv) स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर हीट वेव (लू) से प्रभावित मरीजों के उपचार हेतु सभी संभव सुविधाएँ उपलब्ध कराए।

(v) सरकार को निर्देशित किया जाता है कि वह सभी खुले में कार्य करने वाले श्रमिकों, जिनमें कुली, ठेला और रिक्शा चालक आदि शामिल हैं, के लिए ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी के दौरान दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच विश्राम करने की सलाह जारी करे।

"(30/05/2025 को दोपहर 12:41:27 बजे डाउनलोड किया गया)"

(vi) सरकार को आगे निर्देशित किया जाता है कि वह लोगों को अत्यधिक गर्मी की चेतावनी देने के लिए शॉर्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस), एफएम, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल ऐप्स, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्र आदि के माध्यम से अलर्ट जारी करे।

(vii) सरकार को आगे निर्देशित किया जाता है कि वह हीटवेव (लू) के शिकार मृतक के आश्रितों को उचित एवं उपयुक्त मुआवजा राशि भुगतान करे, जिन्होंने हीट स्ट्रोक के कारण अपना जीवन खो दिया

(viii) सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह मानव एवं अन्य जीवों को प्रदूषण और मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से बचाने हेतु उपयुक्त कानून बनाए। यह उपयुक्त समय एवं आवश्यकता है कि भविष्य की पीढ़ियों को जलवायु परिवर्तन और खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण होने वाली जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

28. अगले सुनवाई की तारीख पर कुछ और उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएंगे।

29. वरिष्ठ अधिवक्तागण श्री आर.एन. माथुर, श्री ए.के. शर्मा, श्री कमलाकर शर्मा, श्री आर.के. अग्रवाल, श्री ए.के. भंडारी, श्री एस.के. गुप्ता, श्री अशोक मेहता, श्री आर.पी. सिंह, श्री विवेक बाजवा, बार काउंसिल के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा बार एसोसिएशनों के अध्यक्षगण से अनुरोध किया जाता है कि वे इस पवित्र जनहित कार्य के लिए उपयुक्त कदम उठाने एवं उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करने में इस न्यायालय की सहायता करें।

"(30/05/2025 को दोपहर 12:41:27 बजे डाउनलोड किया गया)"

30. महाधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री भरत व्यास, अतिरिक्त महाधिवक्ता तथा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री आर.डी. रस्तोगी से भी अनुरोध किया जाता है कि वे राज्य एवं केंद्र सरकार की ओर से इस न्यायालय की सहायता करें। रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि वह इस मामले को तुरंत उपरोक्त नाम एवं शैली में स्वप्रेरित जनहित याचिका के रूप में दर्ज करे।

31. प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाएं। इस आदेश की एक प्रति संलग्नकों सहित आज ही महाधिवक्ता कार्यालय एवं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय में आवश्यक अनुपालन हेतु भेजी जाए। इसी प्रकार, उपरोक्त सभी संबंधित वरिष्ठ अधिवक्ताओं के कार्यालय में भी एक-एक प्रति भेजी जा सकती है।

32. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस मामले को 'जनहित याचिका के लिए रोस्टर वाले उपयुक्त डिवीजन बेंच के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को सूचीबद्ध किया जाए।

(अनूप कुमार ढांड**),** जे

सोलंकी डी.एस,पी.एस.

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Tarun Mehra

Advocate

"(30/05/2025 को दोपहर 12:41:27 बजे डाउनलोड किया गया)"